Website : www.prsuniv.ac.in E-mail ID – registrar@prsuniv.ac.in

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

पत्रांक : पी0आर0एस0यू0 / उकुसका / छात्रवृत्ति / 2024– 40 दिनांक : 5 / 11 / 2024

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

1. प्राचार्य / प्राचार्या,
   राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
   सम्बद्ध प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय
   प्रयागराज।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण
   प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय
   प्रयागराज।

विषयः–वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति के पोर्टल पर SNO, DNO, INO, HOI एवं दशमोत्तर छात्रों (11–12 के अतिरिक्त) की आधार–बेस ई–के0वाई0सी0 पूर्ण करने के उपरांत आधार बेस बायोमैट्रिक आथेटिकेशन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज के पत्रांक सी–2995 / सं0क0 / छा0 / 2024–25 दिनांक 04.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति के पोर्टल पर INO, HOI एवं दशमोत्तर छात्रों (11–12 के अतिरिक्त) की आधार–बेस ई–के0वाई0सी0 पूर्ण करने के उपरांत आधार बेस बायोमैट्रिक आथेटिकेशन कराये जाने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में सूच्य है कि जिन शिक्षण संस्थाओं के INO (Institute Nodel Officer) एवं HOI (Head of Institute) का बायोमैट्रिक आथेटिकेशन पूर्ण नही होगा उन शिक्षण संस्थाओं के छात्र / छात्राओं का छात्रवृत्ति आवेदन संस्था से अग्रसारित नही होगा।

अतएव उपरोक्त के आलोक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जनपद प्रयागराज के समस्त शिक्षण संस्थान के INO एवं HOI जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय में दिनांक 05.11.2024 से 12.11.2024 तक उपस्थित होकर (जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 04.11.2024 के अनुसार) अपना बायोमैट्रिक आथेटिकेशन अनिवार्य रूप से पूर्ण करायें, अन्यथा की स्थिति में जिन शिक्षण संस्थाओं के INO एवं HOI का बायोमैट्रिक आथेटिकेशन पूर्ण नही होगा, उन शिक्षण संस्थाओं के छात्र / छात्राओं का छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित नही किया जायेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(विवेक कुमार कनौजिया)
उपकुलसचिव / नोडल अधिकारी–छात्रवृत्ति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, कुलपति को इस आशय से प्रेषित की, मा0 कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. कुलसचिव।
3. जिला समाज कल्याण अधिकरी प्रयागराज। (ई–मेल)
4. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि जनपद प्रयागराज के समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय की लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

उपकुलसचिव / नोडल अधिकारी–छात्रवृत्ति

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. **संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), प्रयागराज।**
2. **सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।**
3. **संयुक्त निदेशक, आई०टी०आई०, प्रयागराज।**
4. **रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।**
5. **रजिस्ट्रार, प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज।**
6. **प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्रयागराज।**
7. **निदेशक, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज।**
8. **निदेशक, आई०आई०आई०टी, झलवा प्रयागराज।**
9. **एवं समस्त सम्बंधित रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य, जनपद प्रयागराज।**

पत्रांक: C-2695/स०क०/बायोमेट्रिक आथेंटिकेशन/2024-25 दिनांकः 04 नवम्बर 2024

विषयः- **वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति पोर्टल पर SNO, DNO, INO, HOI एवं दशमोत्तर छात्रों (11-12 के अतिरिक्त) की आधार-बेस ई-के०वाई०सी० पूर्ण करने के उपरांत आधार बेस बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी-2413/स0क0/शिक्षा-अ/7/611/2024-25 दिनांक 09.10.2024 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या सी-2629 दिनांक 23 अक्टूबर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति पोर्टल पर INO, HOI एवं दशमोत्तर छात्रों (11-12 के अतिरिक्त) की आधार-बेस ई-के०वाई०सी० पूर्ण करने के उपरांत आधार बेस बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन कराने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे जहाँ जनपद प्रयागराज के **समस्त दशमोत्तर (कक्षा 11-12 के अतिरिक्त) संस्थानों** द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक कार्य दिवस में कतिपय संस्थान के INO एवं HOI द्वारा उपस्थित होकर अपने बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही पूर्ण करायी गयी।

उक्त के क्रम में शासन द्वारा दिए निर्देशों के क्रम में जनपद प्रयागराज के सभी **समस्त दशमोत्तर (कक्षा 11-12 के अतिरिक्त) संस्थानों** जिन्होंने अपना बायोमेट्रिक पूरा नही किया है को **अंतिम अवसर देते हुए** संस्थान के सभी INO एवं HOI को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में **कल दिनांक 05-11-2024 से दिनांक 12-11-2024 तक प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 05 बजे तक** संस्थान के INO एवं HOI उपस्थित होकर पूर्व में दिए दिशा-निर्देश के अनुसार अपने बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण करेंगे। सभी INO एवं HOI अपनी संस्था की लॉग इन से अपना के.वाई.सी. पूर्ण करके ही आयेंगे तथा अपना आधार लिंक्ड मोबाइल एवं संस्था की एक्टिव डी.एस.सी. और एक लैपटॉप भी साथ लायेंगे।

अतः उक्त प्रकरण में पुनर्रेखित करना है कि अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में जनपद के जिन **शिक्षण संस्थानों के INO एवं HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन पूर्ण नहीं होगा उन संस्थानों के छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति आवेदन संस्था से अग्रसारित नहीं होगा** इस कारण अपेक्षित है की सभी शिक्षण संस्थानों को उक्त कार्यक्रम अनुसार अपने बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु अपनी ओर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्याः /स०क०/छात्रवृत्ति/2024-25/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
3. उपनिदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. **संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), प्रयागराज।**
2. **सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।**
3. **संयुक्त निदेशक, आई०टी०आई०, प्रयागराज।**
4. **रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।**
5. **रजिस्ट्रार, प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज।**
6. **प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्रयागराज।**
7. **निदेशक, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज।**
8. **निदेशक, आई०आई०आई०टी, झलवा प्रयागराज।**
9. **एवं समस्त सम्बंधित रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य, जनपद प्रयागराज।**

पत्रांक: C-2629/स०क०/बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन/2024-25 दिनांक: 23 अक्टूबर 2024

विषय:- **वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति पोर्टल पर SNO, DNO, INO, HOI एवं दशमोत्तर छात्रों (11-12 के अतिरिक्त) की आधार-बेस <u>ई-के०वाई०सी० पूर्ण करने के उपरांत आधार बेस बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन कराने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी-2413/स0क0/शिक्षा-अ/7/611/2024-25 दिनांक 09.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य नोडल अधिकारी (SNO) श्री आर0पी0 सिंह, उप निदेशक, मुख्यालय की उपस्थिति में छात्रवृत्ति पोर्टल पर समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों (DNO) की ई-के0वाई0सी0 एवं आधार-बेस्ड बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन की कार्यवाही दिनांक 07-10-2024 से 08-10-2024 तक पूर्ण किये जाने के बारे में अवगत कराते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति पोर्टल पर SNO/DNO/INO/HOI/Students की आधार-बेस्ड ई-के०वाई०सी० पूर्ण करने के उपरांत आधार-बेस्ड बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन कराने के सम्बद्ध में महत्वपूर्ण निर्देश ज़ारी किये गए हैं।

1. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 25-10-2023 एवं 20-11-2023 द्वारा वर्ष 2024-25 से सभी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा नोडल अधिकारी, शिक्षण संस्थानों के प्रमुख/प्राचार्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा राज्य नोडल अधिकारी का आधार-बेस्ड ई-के/वाई0सी0 कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। **वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों की बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के बिना छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारित नही हो पायेगें।** वित्तीय वर्ष 2024-25 से सर्वप्रथम प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोर्टल पर SNO का बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन कराने के बाद SNO की उपस्थिति में DNO का बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन, DNO की उपस्थिति में शिक्षण संस्था के INO (Institute Nodal Officer) एवं HOI (Head of Institute) का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन, INO/HOI की उपस्थिति में छात्र/छात्राओं का बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन किया जाना है।

2. उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं के सभी INO एवं HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन हेतु जनपद स्तर पर कैम्प लगाकर कार्यवाही पूर्ण करायी जानी है। निदेशालय द्वारा साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के सभी संस्थानों का निर्धारित समयावधि में उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाये। उक्त कार्यवाही हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश निम्नवत दिए गए हैं-

a. बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के लिए बायोमैट्रिक डिवाइस (Access FM220UL1) का होना अनिवार्य है।

b. बायोमैट्रिक डिवाइस का क्रय <u>https://www.acpl.in.net</u> से करना है एवं डिवाइस को चलाने हेतु https://www.acpl.in.net/RdService.html? पर जाकर निम्नानुसार 02 डिवाइस ड्राइवर डाऊनलोड किया जाना है:-

   i. Windows Certified RD Service For L1 Devices

   ii. Windows Support Tools For L1 Devices

c. उक्त दोनों ड्राईवर डाउनलोड होने के पश्चात् कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टाल किया जाना है।

3. शिक्षण संस्थान का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन करने के लिए सर्वप्रथम DNO (जिला समाज कल्याण अधिकारी) का बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन होगा, जोकि दिनांक 07-10-2024 व दिनांक 08-10-2024 को निदेशालय, लखनऊ में किया जा चुका है। **DNO के बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के उपरांत अब शिक्षण संस्थानों के INO एवं HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही जिला समाज कल्याण कार्यालय स्तर पर की जाएगी। बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की**

कार्यवाही करने हेतु केवल उन्हीं संस्थानों का नाम अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रदर्शित होगा जिन संस्थानों ने छात्रवृत्ति पोर्टल में अपनी लॉग-इन से INO एवं HOI के ई-के0वाई0सी0 की कार्यवाही पूर्ण की होगी।

4. **INO एवं HOI के बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के उपरांत ही शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्र/छात्राओं के बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही होगी।** बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही करने हेतु केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं का नाम प्रदर्शित होगा जिनका संस्थानों ने छात्रवृत्ति पोर्टल से जिस छात्र का आवेदन पत्र वेरीफाई किया होगा तथा बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन पूर्ण किया होगा, उसके उपरांत ही छात्र का आवेदन पत्र पोर्टल से अग्रसारित हो सकेगा।

5. संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति का समस्त कार्य संस्थान के INO/HOI की डी0एस0सी0 के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 से INO एवं HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही की जानी है। **SNO/DNO द्वारा यदि किसी की डी0एस0सी0 रिसेट की जाती है तो सम्बन्धित की ई-के0वाई0सी0/बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन स्वतः निरस्त हो जायेगी।**

6. चूँकि संस्थानों के INO/HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जानी है इसलिए जनपद प्रयागराज में **दशमोत्तर संस्थानों का आथेन्टिकेशन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पर किया जायेगा।** अतः निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद के **समस्त दशमोत्तर (कक्षा 11-12 के अतिरिक्त) संस्थानों को** यह निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कल दिनांक 25-10-2024 से दिनांक 29-10-2024 तक प्रत्येक कार्य दिवस में **पूर्वाहन 09 बजे से अपराहन 06 बजे तक** संस्थान के INO एवं HOI उपस्थित होकर उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुसार अपने बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण करेंगे। शिक्षण संस्थानों के सभी INO एवं HOI अपना आधार एवं संस्था की एक्टिव डी.एस.सी. और एक लैपटॉप भी साथ लायेंगे।

7. जनपद में संस्थाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित व्यवस्था का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें ताकि बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही सुचारू एवं समयबद्द रूप से संपन्न की जा सके।

अतः उक्त प्रकरण में पुनर्रेखित करना है कि अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में जनपद के जिन **शिक्षण संस्थानों के INO एवं HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन पूर्ण नहीं होगा उन संस्थानों के छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति आवेदन संस्था से अग्रसारित नहीं होगा** इस कारण अपेक्षित है की सभी शिक्षण संस्थानों को उक्त कार्यक्रम अनुसार अपने बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु अपनी ओर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-<u>यथोपरि</u>।

भवदीय,

(डा० प्रज्ञा पाण्डेय)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

<u>पृष्ठांकन संख्याः /स०क०/छात्रवृत्ति/2024-25/तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

4. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
6. उपनिदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

ई–मेल

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश

पत्रांक– C-2413 /स0क0/शिक्षा–अ/7/611/2024–25

लखनऊः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2024

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–छात्रवृत्ति पोर्टल पर SNO/DNO/INO/HOI/Students की आधार–बेस ई–के0वाई0सी0 पूर्ण करने के उपरांत आधार बेस बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्रांक सी0–2294 दिनांक 01–10–2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राज्य नोडल अधिकारी (SNO) श्री आर0पी0 सिंह, उप निदेशक, मुख्यालय की उपस्थिति में छात्रवृत्ति पोर्टल पर समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों की ई–के0वाई0सी0 एवं आधार बेस बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही दिनांक 07–10–2024 से 08–10–2024 तक पूर्ण की गयी है।

2– सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 25–10–2023 एवं 20–11–2023 द्वारा वर्ष 2024–25 से सभी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा नोडल अधिकारी, शिक्षण संस्थानों के प्रमुख/प्राचार्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा राज्य नोडल अधिकारी का आधार बेस ई–के0वाई0सी0 कराये जाने के निर्देश दिये गये है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रों की बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के बिना छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारित नही हो पायेगें। वित्तीय वर्ष 2024–25 से सर्वप्रथम प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोर्टल पर SNO का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन कराने के बाद SNO की उपस्थिति में DNO का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन, DNO की उपस्थिति में संस्था के INO/HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन, INO/HOI की उपस्थिति में छात्र/छात्राओं का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन किया जाना है।

3– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति में जनपद के सभी INO/HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन हेतु जनपद स्तर पर कैम्प लगाकर दिनांक 14–10–2024 से 16–10–2024 तक कार्यवाही पूर्ण करायी जानी है। सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के सभी संस्थानों में निर्धारित समयावधि में उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाय। उक्त कार्यवाही हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों/शिक्षण संस्थानों के लिए दिशा–निर्देश निम्नवत है :–

1– बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के लिए बायोमैट्रिक डिवाइस (Access FM220U L1) का होना अनिवार्य है।

2– बायोमैट्रिक डिवाइस को चलाने हेतु https://www.acpl.in.net/RdService.html? की पर जाकर निम्नानुसार 02 डिवाइस ड्राइवर डाऊनलोड किया जाना है :–

i- **Windows Certified RD Service For L1 Devices**

ii- **Windows Support Tools For L1 Devices**

उक्त दोनों ड्राइवर डाऊनलोड होने के पश्चात कम्प्यूटर सिस्टम में इंस्टाल किया जाना है।

3– संस्थान का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन करने के लिए सर्वप्रथम DNO का बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन होगा, जोकि दिनांक 07–10–2024 व दिनांक 08–10–2024 को निदेशालय में किया जा चुका है। DNO के बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के उपरांत ही संस्थानों के INO/HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही होगी। बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही करने हेतु उन्ही संस्थानों का नाम प्रदर्शित होगा जिन संस्थानों ने छात्रवृत्ति पोर्टल से ई–के0वाई0सी0 की कार्यवाही पूर्ण की है।

4– INO/HOI के बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के उपरांत ही छात्र/छात्राओं के बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही होगी। बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही करने हेतु उन्ही छात्र/छात्राओं का नाम प्रदर्शित होगा जिनमें संस्थानों ने छात्रवृत्ति पोर्टल से जिस छात्र का आवेदन पत्र वेरीफाई किया होगा तथा बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के उपरांत ही छात्र का आवेदन पत्र पोर्टल से अग्रसारित हो सकेगा।

5– DNO यह सुनिश्चित कर लें कि INO/HOI द्वारा अपने से सम्बन्धित संस्थानों में ही ई–के0वाई0सी0/बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही की जाय।

6– संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति का समस्त कार्य INO/HOI की डी0एस0सी0 के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के कम में वित्तीय वर्ष 2024–25 से INO/HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही की जानी है। SNO/DNO द्वारा यदि किसी की डी0एस0सी0 रिसेट की जाती है तो सम्बन्धित की ई–के0वाई0सी0/बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन स्वतः निरस्त हो जायेगी।

7– संस्थानों के INO/HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जानी है। कतिपय जनपदों में संस्थानों की संख्या अत्यधिक होने के कारण बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन में विलम्ब हो सकता है, इसलिए समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दिवस अलग–अलग संस्थानों का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के लिए 02 या 02 से अधिक मशीन का प्रयोग कर सकते हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देश के अनुसार अपनी उपस्थिति में जनपद के सभी INO/HOI का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन हेतु जनपद/तहसील/ब्लाक स्तर पर कैम्प लगाकर दिनांक 14–10–2024 से 16–10–2024 तक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक